# अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

## 3.1.1 कर प्रबंध

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर जिलाधीश (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा की जाती है।

हरियाणा में मानवीय खपत हेतु मादक शराब पर तथा अल्कोहल अथवा अफीम, गांजा एवं नारकोटिक्स से अन्तर्विष्ट औषधीय एवं प्रसाधन उपक्रमों पर उत्पाद शुल्क, हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत उद्गृहीत एवं एकत्रित किया जाता है। उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की अनुमति हेतु नियत, निर्धारित एवं नीलामी फीस तथा डिस्टलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट एवं बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है। इसमें देशी शराब (दे.श.), भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) इत्यादि के विनिर्माण, स्वामित्व तथा बिक्री से राजस्व भी शामिल होता है।

## 3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 में उत्पाद-शुल्क, लाईसैंस फीस प्राप्तियों इत्यादि से संबंधित 42 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 348 मामलों में ₹ 34.76 करोड़ की राशि के उत्पाद-शुल्क/लाईसैंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई, जो **तालिका 3.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

**तालिका 3.1**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | श्रेणियां | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बिक्रियों के पुन: आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना | 1 | 23.70 |
| 2 | लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि | 200 | 6.53 |
| 3 | • पेनल्टी न लगाना | 57 | 0.48 |
| | • अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली | 38 | 1.17 |
| 4 | विविध अनियमितताएं | 52 | 2.88 |
| | **योग** | **348** | **34.76** |

वर्ष के दौरान विभाग ने 69 मामलों में ₹ 1.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 24 मामलों में आवेष्टित ₹ 77.26 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 45 मामलों में ₹ 52.32 लाख वसूल किए।

₹ 24.87 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं:

## लेखापरीक्षा उपलब्धियां

### 3.2 बिक्रियों के पुनः आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना

वर्ष 2009 – 10 से 2012 – 13 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित एच.एल.एल. नियम, लाईसैंसधारी/आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 15वीं/20वीं तारीख तक लाईसैंस फीस तथा शेष 80 प्रतिशत नौ समान मासिक किश्तों में भुगतान का प्रावधान करते हैं तथा वर्ष 2013 – 14 हेतु दुकानों/दुकानों के समूह की लाईसैंस फीस की पूर्ण राशि अप्रैल 2013 से आरंभ होकर मार्च 2014 तक बारह सामान मासिक किश्तों में जमा करवाई जाएगी जिसमें विफल रहने पर वह ब्याज के भुगतान के लिए दायी है तथा लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) वित्तायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मूल आबंटी के जोखिम एवं लागत पर इसे पुनः आबंटित कर सकता है।

**3.2.1** डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों[1] में लाईसैंस फीस के भुगतान की निगरानी हेतु एम – 2 रजिस्टरों[2] की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि 74 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने ₹ 74.86 करोड़ में से ₹ 46.08 करोड़ की प्रतिभूति राशि/लाईसैंस फीस जमा नहीं करवाई। विभाग ने उनके रिटेल शराब आऊटलेट रद्द कर दिए तथा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि/लाईसैंस फीस जब्त कर ली। मूल लाईसैंसधारकों के जोखिम एवं लागत पर ₹ 28.41 करोड़ के लिए शेष अवधि हेतु नवंबर 2009 तथा जनवरी 2014 के मध्य ये खुदरा दुकानें पुनः नीलाम/आबंटित की गई थी, जिनमें से उनके द्वारा ₹ 22.38 करोड़ जमा करवाए गए थे। विभाग ने मूल आबंटियों से ₹ 23.70 करोड़ (₹ 46.08 करोड़ – ₹ 22.38 करोड़) की लाईसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 23.70 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

अप्रैल तथा जून 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत संबंधित लाईसैंसधारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फरीदाबाद तथा रोहतक ने अक्तूबर 2014 में बताया कि ₹ 5.81 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे/जमानतियों के विरूद्ध वसूली प्रक्रियाएं आरंभ की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

---

1 भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, नारनौल, पानीपत तथा रोहतक।

2 एम – 2 रजिस्टर को नीलामी द्वारा निर्धारित फीस पर अनुमत लाईसैंसों के रजिस्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है।

## लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

**3.2.2** वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कुरूक्षेत्र तथा पानीपत के कार्यालयों में लाईसैंस फीस के भुगतान के एम.-2 रजिस्टरों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 12 लाईसैंसधारक अप्रैल 2010 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु निर्धारित तारीखों तक लाईसैंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त का भुगतान करने में विफल रहे। लाईसैंसधारकों ने देय ₹ 7.26 करोड़ में से केवल ₹ 7.13 करोड़ का भुगतान किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने दुकानों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.35 लाख के ब्याज सहित ₹ 18.13 लाख की लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई।

नवंबर 2011 तथा अगस्त 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) पानीपत ने जनवरी 2014 में बताया कि चूककर्ताओं को वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए थे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कुरूक्षेत्र ने मार्च 2012 में बताया कि बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। हमें बकाया राशि वसूल करने के लिए की गई कार्रवाई तथा वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

**3.2.3** डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[3] में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान पर निगरानी हेतु एम.-2 रजिस्टरों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 45 लाईसैंसधारकों ने अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु ₹ 19.58 करोड़ की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात् किया। विलंब 21 दिनों से 170 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने तथापि, माह की समाप्ति तक मासिक किश्तों को जमा न करवाने के लिए दुकानों को सील करने के लिए तथा लाईसैंसफीस के विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.24 लाख के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

अक्तूबर 2011 तथा अगस्त 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सीज (आबकारी), पानीपत तथा रोहतक ने दिसंबर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य बताया कि 16 मामलों में ₹ 12.76 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 6.53 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी), नारनौल, भिवानी तथा करनाल ने जनवरी 2012 तथा फरवरी 2014 के मध्य बताया कि ₹ 10.95 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे/नोटिस जारी किए जा चुके थे। हमें ब्याज की वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

[3] भिवानी, करनाल, नारनौल, पानीपत तथा रोहतक।

## 3.3 अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1) के अंतर्गत 750 मिलीलिटर की प्रत्येक बोतल पर न्यूनतम ₹ 50 तथा अधिकतम ₹ 500 की पेनल्टी अवैध शराब[4] के स्वामित्व हेतु दोषी पर उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा पेनल्टी आरोपण तथा वसूली नियम, 2003 प्रावधान करता है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) परिवहन के साधन की शराब के साथ जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), अंबाला, फतेहाबाद तथा पंचकूला के कार्यालयों के वर्ष 2010 – 11 से 2012 – 13 के अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि विभाग ने मई 2009 तथा दिसंबर 2012 के मध्य 27 मामलों में भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.)/देशी शराब (दे.श.) की 87,810 अवैध बोतलें रोक ली थी तथा 22 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् 22 मामलों का निर्णय किया तथा 2010 – 11 एवं 2011 – 12 के दौरान ₹ 58.76 लाख की पेनल्टी लगाई और पांच मामलों में ₹ 10.28 लाख की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकी। न तो दोषियों ने पेनल्टी का भुगतान किया और न ही विभाग ने 15 से 60 माह[5] की समाप्ति के बाद भी जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करके राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। हरियाणा पेनल्टी आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 69.04 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

दिसंबर 2011 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) अंबाला ने अप्रैल 2014 में बताया कि ₹ 24.19 लाख (₹ 17.07 लाख पहले वसूल किए गए) की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 29.92 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फतेहाबाद तथा पंचकूला ने मार्च तथा अप्रैल 2014 में बताया कि ₹ 14.93 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। हमें वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

---

[4] अवैध शराब का तात्पर्य किसी गुणवत्ता जांच के बिना गुप्त रूप से/अवैध रूप से तैयार की गई तथा स्वीकार्य से उच्चतर मादक केन्द्रीकरण के कारण मानव खपत हेतु अनुपयुक्त शराब से है।

[5] विलम्ब, पेनल्टी लगाने की तारीख से मार्च 2014 तक परिकलित किया गया।